<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी</u> जिला—अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.— 306/03 संस्थित दिनांक—24.07.2003

चंद्रभान सिंह पुत्र जयराम सिंह आयु 62 साल निवासी ग्राम गोरा, सेहराई तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....परिवादी

विरूद्ध

प्रताप पुत्र शिवलाल आयु 85 साल निवासी गोरा सेहराई तहसील चंदेरी जिला— अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 18.07.2017 को घोषित)

- 1. अभियुक्त पर भादिव की धारा 435 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 06.04.2003 को परिवादी चंद्रभान के खिलहान में रखे आठ ट्राली गेहू व ट्राली सरसों की फसल को नुकसान कारित करने के आशय से रात्रि में उसमें आग लगा कर परिवादी को रिष्टी कारित की।
- 2. प्रकरण में कोई स्वीकृत तथ्य नही है।
- उ. पिरवादी का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम गोरा सहराई में पिरवादी चंद्रभान के मकान के पीछे एक बाडा हैं जिसमें पिरवादी अपनी कृषि उपज रखता है और उस बाडे के चारों ओर बागड लगी थी। दिनांक 06.04.2003 को उक्त बाडे में पिरवादी की आठ ट्राली गेंहू व दो गाडी संरसों की फसल रखी थी, जिसमें अभियुक्त ने रात्रि चार बजे आग लगा दी थीं। अचानक लगी आग से हुयी चिल्लाचोट से पिरवादी की मां जामबाई नींद खुली थी जिसने पिरवादी के भाई इंद्रराज को जगाया था, जो मोके पर पहुचा था और उसने अभियुक्त को पिरवादी के खिलहान से भागते हुये देखा था, जिसके बाद देवीसिह और मलखान सिह ने भी अभियुक्त को मोके से भागते हुये देखा था। फसल में आग लगने से पिरवादी को 70000 / रूपये का नुकसान हो गया था। घटना के पहले भी कुंदन सिंह ने अभियुक्त को यह कहते हुये सुना था कि वह फसल में आग लगा देगा। पिरवादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस चौकी थूबोन में की थी तथा क्षेत्रिय सांसद, पुलिस अधीक्षक, जिलाधीश एवं पुलिस महानिदेशक को भी पत्र लिखा था, परन्तु जब पुलिस द्वारा रिपोर्ट नही लिखी गयी, तो अभियुक्त के विरुद्ध धारा 435 भा0द0वि0 में कार्यवाही किये जाने के लिये यह पिरवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- (2)
- 04— अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध की आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।
 - 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 06.04.2003 को परिवादी को नुकसान पहुचाने के आशय से उसके खलिहान में रखे 8 टॉली गेंहू की फसल एवं दो ट्राली सरसों की फसल में रात्रि लगभग चार बजे आग लगाकर रिष्टी कारित की ?
 - 2. दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:सकारण निष्कर्ष:--

- 05— चंद्रभान (प0सा0—4) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि दिनांक 06.04.03 को रात्रि लगभग चार बजे की घटना हैं, उसके खिलहान में उसकी आठ ट्राली गेंहू की फसल व दो गाडी सरसों की फसल रखी थी, जिसमें अभियुक्त प्रताप ने आग लगा दी थी। चंद्रभान (प0सा0—4) के अनुसार उस समय चारों तरफ हल्ला मच गया था और चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां जो कि दूसरे मकान में सो रही थी, ने उसके छोटे भाई को जगाया और उसके बाद उसे आकर जगाया था, जिसके बाद वह घटना स्थल पर पहुचा था तो उसने आग लगी हुयी देखी थी। परिवादी के अनुसार जब वह मौके पर पहुचा था, तो देवीसिंह (प0सा0—3) व अपने भाई इन्द्रराज (प0सा0—2)सिहत कई लोग उपस्थित थें, जिनमें से देवीसिंह (प0सा0—3) व अपने भाई इन्द्रराज (प0सा0—2) पूछनें पर देवीसिंह (प0सा0—3) ने उसे बताया था कि जब वह खिलहान की तरफ पहुंचा तो उसे अभियुक्त प्रताप दूसरी ओर भागता हुआ दिखा था।
- 06— चंद्रभान (प0सा0—4) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में कथन दिये हैं कि उसने और उसकी मां ने अभियुक्त प्रताप को आग लगाते हुये नहीं देखा था तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में भी इस साक्षी का यहीं कहना है कि किस व्यक्ति ने कितने बजे आग लगायी उसने नहीं देखा। चंद्रभान (प0सा0—4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में एवं प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में, 15 में यह कथन दिये है कि उसे देवीसिंह (प0सा0—3) व इन्द्रराज (प0सा0—2) ने अभियुक्त द्वारा खिलहान में आग लगाने के बारे में बताया था क्योंकि उन लोगों ने उसे आग लगाते हुये एवं भागते हुये देखा था।
- 07— अतः चंद्रभान (प0सा0—4) के स्वयं के कथनों से स्पष्ट है कि उसने स्वयं ने अभियुक्त प्रताप को न तो उसके खिलयान में आग लगाते हुये देखा और न ही उसे मौके से भागते हुये देखा था। अतः चंद्रभान (प0सा0—4) घटना का इस संबंध में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हो सकता है कि उसने घटना दिनांक को रात्रि में लगभग चार बजे अपने खिलहान में आग लगते हुये देखी थी, परन्तु इस साक्षी का यह कहना है कि अभियुक्त के द्वारा उसके खिलहान में आग लगायी गयी और उसे वहा से भागते हुये देवीसिंह (प0सा0—3) व उसके भाई इन्द्रराज (प0सा0—3) ने देखा था जो स्वयं देवीसिंह (प0सा0—2), मलखान (प0सा0—5) व उसके भाई इन्द्रराज (प0सा0—3) ने उसे बताया है, के संबंध में परिवादी चंद्रभान (प0सा0—4) के कथन अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं, जो कि साक्ष्य में ग्राहय नहीं है।

- (3)
- 08— घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में परिवादी पक्ष की ओर से अपने समर्थन में परिवादी के भाई इन्द्रराज (प0सा0—2) सिहत देवीसिंह (प0सा0—3) एवं मलखान (प0सा0—5) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं, इन सािक्षयों में से मलखान (प0सा0—5) ने अपने न्यायालीन कथनों में परिवादी के द्वारा बतायी गयी घटना का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया। इस सािक्षी का अपने कथनों में यह कहना है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि परिवादी चंद्रभान के खिलहान में आग लगी थी और न उसे इस बात की जानकारी है कि परिवादी और अभियुक्त के बीच फसल के पीछे कोई विवाद हुआ था। अतः मलखान (प0सा0—5) के कथनों से परिवादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 09— घटना के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी देवीसिंह (प0सा0—3) ने अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि परिवादी चंद्रभान (प0सा0—4) के मकान के पीछे थोडी दूरी पर खिलहान है, जिसमें परिवादी अपना अनाज रखता हैं, इस साक्षी का कहना है कि वह ग्राम गोरा एवं नयाखेडा के बीच घटना के समय खेती किये हुये था तथा उसने खिलहान में आग लगी हुयी देखी थी और लोगों को उसे बुझाते हुये भी देखा था। इस साक्षी का यह भी कहना है कि उसने किसी को वहा से भागते हुये देखा था, जिसे वह पहचान नहीं पाया था।
- 10— देवीसिंह (प0सा0—3) अपने मुख्यपरीक्षण में परिवादी चंद्रभान (प0सा0—4) के इन कथनों को समर्थन तो करता है कि उसके खिलहान में स्वयं उसने आग लगी हुयी देखी थी तथा मौके से किसी को भागते हुये भी देखा था, परन्तु परिवादी के कथनों के विपरीत इस साक्षी का यह कहना है कि उसने उसे व्यक्ति को पहचाना नही था अर्थात् इस साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में अभियुक्त के विरूद्ध एवं परिवादी के समर्थन में ऐसे कोई कथन नही दिये है कि उसने स्वयं ने अभियुक्त को खिलहान में आग लगाते हुये व वहां से भागते हुये देखा था। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी यह तो कथन दिये है कि उसने मोके पर से किसी आदमी को भागते हुये देखा था परन्तु वह व्यक्ति अभियुक्त था, इस संबंध में इस साक्षी ने कोई कथन परिवादी के समर्थन में नही दिये।
- 11— देवीसिंह (प0सा0—3) अपने प्रतिपरीक्षण की किण्डका 5 में परिवादी के खिलहान के पास 10—15 कदम की दूरी पर अपना खिलहान होना बताता है। निश्चित रूप से यदि देवीसिंह (प0सा0—3) घटना के समय अपने खिलहान होगा, तो यह संभव है कि परिवादी के खिलहान में आग लगते हुये व आग लगाने वाले व्यक्ति को वह भागते हुये देख सकता था, परन्तु स्वयं देवीसिंह (प0सा0—3) का यह कहना नहीं है कि वह घटना के समय अपने खिलहान में था जो कि परिवादी के खिलहान के पास में हैं।
- 12— देवीसिंह (प0सा0—3) का अपनी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में ही यह कहना है कि घटना दिनांक की रात्रि को वह अपने घर ग्राम हलनपुर में सो रहा था। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में यह स्पष्ट किया है कि उसके खिलहान से उसका गांव 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है तथा वह घटना के समय घर से 04:15 बजे चला था और उसे खिलहान तक आने में गाव से 25 मिनिट लगते हैं। अतः देवी सिंह (प0सा0—3) के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में घटना स्थल से घटना के समय स्पष्ट की गयी उसकी दूरी ही इस साक्षी की घटना स्थल पर उपस्थिति तथा घटना के संबंध में दिये गये उपरोक्त कथनों को संदेहास्पद बनाती है।

- 13— देवीसिंह (प0सा0—3) अपने प्रतिपरीक्षण की किण्डका 6 में यह कहता है कि उसे भागता हुआ आदमी खिलहान से 150 मीटर की दूरी पर दिखा था तथा उसने उस व्यक्ति को 300 मीटर की दूरी से देखा था। प्रतिपरीक्षण की किण्डका 7 में यह साक्षी स्वयं स्वीकार करता है कि खिलहान के पास बिजली नहीं लगी थी अतः एक व्यक्ति बिना प्रकाश के रात्रि में चार बजे के लगभग 300 मीटर की दूरी पर किसी व्यक्ति को भागते हुये देख सकता है, इस साक्षी के इन कथनों पर ही विश्वास करना कठिन हैं।
- 14— यह भी उल्लेखनीय है कि घटना के समय देवीसिंह (प0सा0—3) स्वयं यह स्वीकार करता है कि वह हलनपुर अपने मकान में सो रहा था, जिसकी घटना स्थल से दूरी ही 2 से 3 किलोमीटर हैं, जहां उसे पहुंचने में 25 मिनिट लगे। 25 मिनिट तक कोई व्यक्ति मोके पर आग लगाकर उपस्थित रहेगा और देवीसिह (प0सा0—3) के मोके पहुंचने का इंतजार करेगा इस पर कोई सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता है। घटना स्थल से देवीसिह (प0सा0—3) का गावं दो से तीन किलोमीटर की दूरी पर है जहां वह अपने मकान में सो रहा था। रात्रि में उसे दो तीन किलोमीटर दूर जाकर आग लगने की सूचना किसने दी या उसे आग लगने की जानकारी रात्रि में सोते समय कैसे लगी, यह कही भी इस साक्षी ने स्पष्ट नहीं किया।
- 15— देवीसिंह (प0सा0—3) ने सर्वप्रथम तो परिवादी का इस बात पर समर्थन नही किया है कि उसने अभियुक्त को उसके खिलहान में आग लगाते हुये तथा मौके से अभियुक्त को भागते हुये देखा था, जिसे यह साक्षी आरोप पश्चात् प्रतिपरीक्षण की किण्डका 1 में स्वीकार भी करता है। वहीं इस साक्षी के न्यायालीन कथनों से उसके द्वारा घटना स्थल पर बतायी गयी स्वयं की उपस्थिति भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है और न ही घटना के संबंध में इस साक्षी के द्वारा दिये गये कथन विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। अतः देवी सिंह (प0सा0—3) ने परिवादी चंद्रभान (प0सा0—4) को अभियुक्त के द्वारा खिलहान में आग लगाने या उसे वहां से भागते हुये देखने के संबंध में कोई जानकारी दी थी, यह देवीसिंह (प0सा0—3) के कथनों से प्रमाणित नहीं होता है।
- 16— घटना के अन्य साक्षी इन्द्रराज (प0सा0—2) जो कि स्वयं परिवादी चद्रभान (प0सा0—4) का भाई हैं, को घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी परिवाद पत्र में उल्लेखित घटना में बताया गया है, जिसके कथन परिवादी ने अपने समर्थन में न्यायालय में कराये है। परिवादी चंद्रभान (प0सा0—4) का अपने कथनों की कण्डिका 1 में कहना है कि आग लगने से चारों तरफ हल्ला मच गया था, जिसे सुनकर उसकी मां जो कि दूसरे मकान में सो रही थी, जाग गयी थी और उसने उसके छोटे भाई यानी इन्द्रराज (प0सा0—2) को जगाया था और उसके बाद स्वयं उसके घर पर आकर उसे भी उसकी मां ने जगाया था। इन्द्रराज (प0सा0—2) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 9 में यह स्पष्ट किया है कि जामबाई उसकी और चंद्रभान की मां है तथा चंद्रभान और वह अलग अलग मकान में रहते हैं
- 17— इन्द्रराज (प0सा0—2) के अनुसार चंद्रभान के खिलहान से उसके मकान की दूरी एक हजार फीट हैं, स्वयं चद्रभान (प0सा0—4) का अपने प्रतिपरीक्षण कंण्डिका 10 में यह कहना है कि उसके खिलहान से उसका मकान दो सौ फीट की दूरी पर है। इसी साक्षी ने प्रतिपरीक्षण

की कण्डिका 12 में यह स्वीकार किया है कि उसके भाई इन्द्रराज (प0सा0–2) का मकान और उसके मकान के बीच दूरी एक किलोमीटर की है। अतः साक्षियों के उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि घटना स्थल से निकट चंद्रभान (प0सा0–4) का मकान था तथा उससे दूरी पर इन्द्रराज (प0सा0–2) का मकान था।

- 18— चंद्रभान (प0सा0—4)के परिवाद पत्र एवं न्यायालय में दिये गये कथनो के अनुसार घटना के समय वह स्वयं और उसका भाई इंद्रराज अपने अपने मकानों में सो रहे थे तथा उसकी मां जामबाई इन्द्रराज के पास थी और सबसे पहले जामबाई ने ही चिल्लाने की आवाज सुनी थी और घटना के समय मकान में सो रहे इन्द्रराज (प0सा0—2) का जगाया था और उसके बाद चंद्रभान (प0सा0—4) के मकान पर आकर चंद्रभान (प0सा0—4) को जगाया था। चंद्रभान (प0सा0—4) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में इस बात का खण्डन किया है कि सबसे पहले आग लगते हुये उसकी मां जामबाई ने देखी थी। इस साक्षी का कहना है कि गांव वालों के चिल्लाने की आवाज सुनकर अम्मा को पता चला था और अम्मा की नीद खुल गयी थी और इसके बाद अम्मा ने इन्द्रराज (प0सा0—2) को जगाया था।
- 19— चंद्रभान (प0सा0—4) के यदि उपरोक्त कथनों पर विचार किया जाये, तो इस साक्षी के उपरोक्त कथनों के अनुसार घटना के समय उसकी मां भी इन्द्रराज (प0सा0—2) के मकान में सो रही थी और गाव वालों की चिल्ला चोट सुनकर वह जागी थीं और इन्द्रराज (प0सा0—2) का जगाया था। अतः स्पष्ट है कि सर्वप्रथम खिलहान में आग लगते हुये, गाव वालों ने देखा था और यदि इन्द्रराज (प0सा0—2) अपने मकान जो कि उसके चंद्रभान के खिलहान से एक हजार फीट की दूरी पर है, में सो रहा था और मां के जगाने पर वहां पहुचा था, तो गाव वालों के हल्ला करने के बाद भी अभियुक्त इस साक्षी के मौके पर पहुचने तक घटना स्थल पर ही खडा रहा होगा, इस पर विश्वास करना कितन है, क्योंकि इतनी अविध घटना स्थल से फरार होने के लिये पर्याप्त थी, अतः ऐसे में मौके पर पहुंचकर इन्द्रराज (प0सा0—2) को अभियुक्त को खिलहान में आग लगाते हुये देखना कही से भी संभव प्रतीत नहीं होता है।
- 20— चंद्रभान (प0सा0—4) के न्यायालीन कथन एवं परिवाद पत्र के अनुसार घटना के समय इंद्रराज अपने मकान में सो रहा थां, जिसे उसकी मां ने चिल्लाचोट की आवाज सुनकर उठाया था, परन्तु स्वयं इन्द्रराज (प0सा0—2) इस बिन्दु पर परिवादी चंद्रभान (प0सा0—4) के कथनों का समर्थन नहीं करता है। इन्द्रराज (प0सा0—2) अपने कथनों में चंद्रभान (प0सा0—4) के कथनों के विरुद्ध न्यायालय में यह कथन देता है कि घटना के समय वह अपने खिलहान में था, जंहा से चंद्रभान का खिलहान सौ फीट की दूरी पर था। इन्द्रराज (प0सा0—2) का प्रतिपर्रीक्षण की किण्डका 15 में यह भी कहना है कि जब खिलहान में आग लगी थी तो उसकी मां खेत पर नहीं थी। इस साक्षी के अनुसार वह करतार की मां भुनिया बाई के चिल्लाने की आवाज सुनकर जागा था और उसने चंद्रभान के खिलहान में अपने खिलहान से आग लगी देखी थी और अभियुक्त को भागते हुये देखा था।
- 21— अतः इन्द्रराज (प0सा0—2) परिवादी द्वारा बतायी गयी घटना के विपरीत घटना के समय अपने आप को स्वयं खलिहान में होना बताता है तथा करतार की मां भुनिया बाई के चिल्लाने की आवाज सुनकर आग लगी देखना एवं अभियुक्त को मोके से भागते हुये देखना

बताता है। इस साक्षी का अपने प्रतिपरीक्षण की किण्डिका 4 में यह कहना है कि उसके आने के बाद पचास आदमी एकत्रित हुये थे, तथा इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण की किण्डिका 5 में यह कहना है कि आरोपी को भागते हुये और लोगों ने नही देखा था।

- 22— यदि गांव वालों के चिल्लाने के आवाज सुनकर जामबाई जागी थी और उसके बाद अभियुक्त मोके पर पहुंचा था, तो यह कैसे संभव हैं कि गांव वालों ने जो कि पहले से मोके पर थे, अभियुक्त को आग लगांकर भागते हुये नहीं देखा और इन्द्रराज (पं०सा0—2) जो कि बाद पहुंचा था, उसने अभियुक्त को मौके पर आग लगाते हुये और भागते हुये देख लिया। इन्द्रराज (पं०सा0—2) अपने कथनों में करतार की मां भुनिया बाई के द्वारा चिल्लाने की आवाज सुनकर जागना बताता है, परन्तु यही साक्षी दिनांक 31.07.2003 को घटना के तुरन्त बाद न्यायालय में दिये कथनों में पत्थर गिरने की आवाज सुनकर जगना बताता है। दिनांक 31.07.2003 को दिये गये कथनों में इस साक्षी का कही भी यह कहना नहीं है कि वह करतार की मां भुनिया बाई के आवाज सुनकर जगा था।
- 23— अतः घटना दिनांक को इन्द्रराज (प0सा0—2) कहा पर था तथा उसकों घटना की जानकारी किस व्यक्ति के द्वारा दी गयी इस संबंध में इन्द्रराज (प0सा0—2) के कथन फरियादी चंद्रभान (प0सा0—4) के कथनों के तो विरोधाभासी है, साथ ही इस साक्षी के स्वयं के कथन भी इस संबंध में स्थिर नही है, यदि तर्क के लिये थोड़ी देर को यह भी मान भी लिया जावे कि घटना के समय इन्द्रराज (प0सा0—2) अपने खिलहान में ही सो रहा था, जहां से घटना स्थल सौ फीट की दूरी पर है, तो इस साक्षी के ही प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 12 में दिये गये कथनों के अनुसार चंद्रभान के खिलहान में लाइट नहीं थी और उसके खिलहान में भी लाइट नहीं थीं, इस साक्षी का यह भी कहना है कि घटना रात के चार बजे की है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां खिलहानों में लाइट नहीं है वहां रात्रि के समय सौ फीट की दूरी पर किसी व्यक्ति को देख लेना अपने आप में संभव नहीं है।
- 24— चंद्रभान (प0सा0—4) ने अपने कथनो में यह स्पष्ट किया है कि उसके खिलहान के चारों तरफ चार फीट की पत्थर की बाउण्ड्री हैं तथा स्वयं इन्द्रराज (प0सा0—2) भी अपने प्रतिपरीक्षण की किण्डका 5 में यह कहता है कि वह 50 फीट की दूरी तक दौडा था और चंद्रभान (प0सा0—4) की बाउण्ड्री तक पहुचने पर गड्डे में गिर गया था। अतः एक व्यक्ति जो अपने खिलहान में सो रहा था सौ फीट की दूरी से रात्रि में चार फीट ऊंची बाउण्ड्री के पार किसी व्यक्ति को देखकर पहचान पाना कैसे संभव हैं. यह समक्ष से परे है।
- 25— इन्द्रराज (प0सा0—2) का अपने प्रतिपरीक्षण की किण्डका 7 में यह कहना है कि अभियुक्त दक्षिण से उत्तर की ओर चक्कर लगा रहा था। इस प्रतिपरीक्षण की किण्डका 11 में यह कहना है कि अभियुक्त ने पांच मिनिट तक आग लगायी, कोई भी व्यक्ति यदि किसी को नुकसान कारित करने के आशय से खिलहान में आग लगायेगा तो वह इतने निडर होकर आराम से पांच मिनिट तक घटना स्थल पर खडा होकर आग लगाता रहेगा, जब तक की उसे कोई देख न ले, इस पर विश्वास करना किठन है, क्योंकि ऐसी घटनाएं चोरी छुपे होती है। यदि वास्तव में इन्द्रराज (प0सा0—2) ने अभियुक्त को मोके पर आग लगाते हुये देखा होता, तो वह यह भी बता सकता था कि अभियुक्त ने आग किस प्रकार व किस चीज से लगायी थी, परन्तु यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की किण्डका 11 में यही नही बता

सका कि आरोपी ने किस चीज से आग लगाई थी अतः अभियुक्त को मोके पर आग लगाते हुये देखने एवं आग कर भागते हुये देखने के संबंध में इन्द्रराज (प0सा0—2)के कथन लेषमात्र भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है।

- 26— इन्द्रराज (प0सा0—2) आरोप पूर्व साक्ष्य में चंद्रभान के खलिहान में आठ ट्रॉली गेंहू और दो गाडी सरसों की रखा होना बताता है, परन्तु इसके पश्चात् बचाव पक्ष के द्वारा आरोप पश्चात् किये गये प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 12 में यह साक्षी घटना स्थल ही परिवर्तित कर देता है। इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 12 में यह कहना है कि चंद्रभान अपना गेंहू और सोयाबीन की फसल किसी भागीरथ पाल के खिलहान में रखता है। यह साक्षी इस बात का खण्डन करता है कि चंद्रभान गेंहू और सोयाबीन अपने खिलहान में रखता था। अतः इस साक्षी के अनुसार चंद्रभान का खुद का कोई खिलहान नहीं था। अतः समय के साथ घटना स्थल के संबंध में इस साक्षी के कथनों में उत्पन्न हुये विरोधाभास तात्विक स्वरूप के हैं जो कि अपने आप में ही इस साक्षी के कथनों की विश्वसनीय पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं।
- 27— परिवादी की ओर से अपने समर्थन में कुन्दन (प0सा0—1) के कथन भी न्यायालय में कराये हैं, परिवादी के अनुसार यह साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है बल्कि घटना से पूर्व इस साक्षी ने अभियुक्त को खिलहान में आग लगाने का षड्यंत्र अथवा बातचीत करते हुये सुना था। इस साक्षी कुंदन (प0सा0—1) ने अपने कथनों में व्यक्त किया कि घटना से 8 दिन पहले जब वह अपने खिरका में भैंसे बांध रहा था, तो जहार सिंह के खैरा में उसने अभियुक्त को मजबूत सिंह और कल्याण सिंह से यह कहते हुये सुना था कि लाक ढुल जाने तो फिर आग लगायेंगे इस साक्षी का कहना है कि अभियुक्त ने यह नहीं बताया था किसकी लाक में आग लगाने वाला है।
- 28— कुंदन (प0सा0—1) परिवादी चंद्रभान (प0सा0—4) का चचेरा भाई हैं, यह इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में स्वीकार किया हैं, निश्चित रूप से इस साक्षी के कथनों के अनुसार आठ दिन पहले जब प्रताप ने जहार सिंह के खैरा में लाक ढुल जाने के बाद आग लगाने की बात कही थी, तो उस समय किसकी लाक में आग लगाने वाला था, यह उसे ज्ञात नही हुआ था, परन्तु जब चद्रभान (प0सा0—4) के खिलहान में आग लग गयी थी तो उसे निश्चित रूप से यह जानकारी हो गयी होगी कि प्रताप को जिस लाक में आग लगाने की बात कहते हुये उसने सुना था, वह चंद्रभान (प0सा0—4) की थीं और क्योंकि कुंदन (प0सा0—4) परिवादी चंद्रभान (प0सा0—4) का सगा चचेरा भाई हैं तो उसे इस बात की तत्काल जानकारी आग लगने के बाद चंद्रभान (प0सा0—4) को सामान्यतः दी जानी चाहिए थी, जो कि यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की किण्डिका 6 में 3 दिन पश्चात् देना बताता है।
- 29— यह साक्षी अपने कथनों में ही कहता है कि आग लगने से पहले कितना गेंहू रखा था उसे नहीं पता तथा आग लगने के बाद भी मौके पर नहीं गया था। इस साक्षी का आरोप पश्चात प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में यह कहना है कि चंद्रभान (प0सा0—4) का खिलहान में घर में ही है तथा खेत गावं के बाहर है। कुदन (प0सा0—1) परिवादी चंद्रभान (प0सा0—4) का चचेरा भाई है, परन्तु इस साक्षी के कथनों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि चंद्रभान (प0सा0—4) का खिलहान पर है तथा कहा आग

लगी थी क्योंकि परिवादी सिहत अन्य साक्षी चंद्रभान (प0सा0—4) का मकान से दूर खिलहान होना बताते हैं। अतः इस साक्षी के भी कथन इस संबंध में विश्वसनीय नहीं है कि उसने प्रताप को घटना के पूर्व परिवादी के खिलहान में आग लगाने का कहते हुये सुना था। अतः जहां घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की घटना स्थल पर उपस्थिति ही संदिग्ध हैं तथा घटना के संबंध में उनकी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। वहां कुंदन (प0सा0—1) के मात्र यह कहने से कि उसने अभियुक्त को घटना से आठ दिन पूर्व किसी खिलहान में आग लगाने के बात कहते हुये सुना था। परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में कथित घटना को प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं।

- 30— चंद्रभान (प0सा0—4) स्वयं घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है बल्कि परिवाद पत्र एवं न्यायालय में दिये गये कथनों के अनुसार अभियुक्त को घटना कारित करते हुये, इन्द्रराज (प0सा0—2) देवीसिंह (प0सा0—3) व मलखान (प0सा0—5) ने देखा था। मलखान (प0सा0—5) ने न्यायालय में दिये गये कथनों में जहां घटना की जाानकारी होने से ही इन्कार किया है वहीं देवीसिह (प0सा0—3) ने न्यायालय में अभियुक्त के विरूद्ध कोई कथन नही दिये तथा इस साक्षी के न्यायालीन कथनों से उसकी साक्ष्य लेषमात्र विश्वसनीय नही है और न ही उसकी घटना स्थल पर उपस्थिति ही संदेह से परे प्रमाणित होती है। इन्द्रराज (प0सा0—2) जो कि घटना का अंतिम और मुख्य साक्षी है और परिवादी चंद्रभान (प0सा0—4) का सगा भाई हैं, अपने न्यायालीन कथनों में चद्रभान (प0सा0—4) के कथनों के विरूद्ध न्यायालय में कथन देता है। इस साक्षी के कथनों में उत्पन्न हुये विरोधाभास से इस साक्षी की घटना स्थल पर उपस्थिति जहां संदिग्ध प्रतीत होती है। वहीं इस साक्षी के इन कथनों पर भी उसने अभियुक्त को खिलहान में आग लगाते हुये देखा था और वहां से भागते हुये देखा था, पर विश्वास करने का कोई आधार अभिलेख पर नही है।
- 31— परिवादी की ओर से प्रकरण में प्र0पी0 4 का पंचनामा प्रस्तुत किया गया है। उक्त पंचनामा किसके द्वारा लिखा गया, किस संबंध में लिखा गया, यह तक विधिवत् परिवादी पक्ष की ओर से प्रमणित नहीं कराया गया। परिवादी की ओर से प्रथपी0 2 की डाक रसीद व प्र0पी0 3 की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित प्र0पी0 1 का दिनांक 18.07.2003 को पुलिस अधीक्षक को लिखे गये पत्र की प्रति प्रकरण में प्रस्तुत की गयी है जो यह तो प्रस्तुत करता है कि परिवादी ने अभियुक्त पर कार्यवाही करने के लिये पुलिस अधीक्षक को पत्र प्रेषित किया था परन्तु वास्तव में अभियुक्त के द्वारा घटना कारित की गयी यह परिवादी तथा उसके साक्षियों को न्यायालय में दिये गये कथनों के आधार पर साबित करना था, जो वह साबित करने में सफल नहीं हुये।
- 32— परिवादी अपने कथनों में 70—80 हजार रूपये का नुकसान फसल जलने से होना बताता हैं, परन्तु इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उसके द्वारा राजस्व कर्मियों को इसकी सूचना देकर मुआबजा राशि की मांग की गयी या हुये नुकसान की पूर्ति के लिये कोई कार्यवाही की गयी ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। एक व्यक्ति जिसका इतना नुकसान हो गया हो वह उक्त नुकसान की पूर्ति के लिये कोई कार्यवाही नहीं करेगा, इस पर भी कोई सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता है। अतः घटना दिनांक को परिवादी के खिलहान में आग लगने से कोई नुकसान हुआ था, इसका कोई दस्तावेजी प्रमाण अभिलेख पर नहीं है, जिससे यह भी संशेय की स्थिति है कि वास्तव में कोई आग लगी भी थी अथवा नहीं। चंद्रभान (प0सा0—4) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 17 में यह स्वीकार

किया है कि घटना से दो महीने पहले पानी को लेकर उसका अभियुक्त से विवाद हुआ था। इन्द्रराज (प0सा0-2) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 16 में यह स्वीकार किया है घटना के समय परिवादी व अभियुक्त के मध्य पानी को लेकर विवाद था। जिससे परिवादी व अभियुक्त के मध्य पूर्व की रंजिश होना भी स्थापित होती है। अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये भी परिवादी की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी साक्ष्य के आधार पर घटना की सत्यता को लेकर एक युक्तियुक्त शंका उत्पन्न होती है। जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्यायोचित होगा।

- 33— किसी भी प्रकरण में दोष सिद्धि के लिये परिवादी पर घटना को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार होता है जो इस प्रकरण में भी परिवादी पर था, परन्तु परिवादी अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं हुआ कि उसने दिनांक 06.04.2003 को परिवादी को नुकसान पहुंचाने के आशय से उसके खिलहान में रखे 8 ट्राली गेंहू की फसल एवं दो ट्राली सरसों की फसल में रात्रि लगभग चार बजे आग लगाकर रिष्टी कारित की।
- 34— फलतः **अभियुक्त प्रताप पुत्र शिवलाल** के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा—435 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर **अभियुक्त प्रताप पुत्र शिवलाल** को भा०दं०वि० की धारा—435 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 35— <u>अभियुक्त प्रताप पुत्र शिवलाल</u> के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्त का धारा—428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)